उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-17/2023/715/तीस-4-2023-30-4099/22/2022
लखनऊः दिनांकः 19 मई, 2023

अधिसूचना

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 95, 96 तथा 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन निम्निलिखित नियमावली का प्रारूप, अधिसूचना संख्या-8/2023/458/तीस-4-2023-30-4099/22/2022, दिनांक 05 अप्रैल, 2023 गजट में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 65, 95, 96 तथा 111 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी;
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 39 का संशोधन</td><td colspan="2">2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 39 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td>39. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-
(1) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा। ठीक हालात में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र एस.आर. 12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र को जिसके कार्यक्षेत्र में यान रखा जाता हो या जिसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उस मार्ग या क्षेत्र का जिस पर यान से सम्बन्धित परमिट का</td><td>39. ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत और जारी करना-
(1)(क) धारा 56 के प्रयोजनार्थ, विहित प्राधिकारी, राज्य के किसी जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा, जहाँ ऐसा यान प्रचालित किया जा रहा हो। अन्य राज्य में यान प्रचालित किये जाने की दशा में विहित प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र होगा;</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	विस्तार हो, प्रमुख भाग भी है, किया जायेगा।	परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों का संचालन किसी जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, से भिन्न किसी जिला में, किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है वहाँ निरीक्षणकर्ता अधिकारी, जिसने परीक्षण संचालित किया हो, उसी दिवस या अनुवर्ती कार्यदिवस में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र 38क में parivahan.gov.in/vahan पोर्टल पर अपलोड करेगा और यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा यान, अधिनियम तथा नियमावली के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अपने हस्ताक्षर तथा मुहर से निरीक्षण रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर स्पीड पोस्ट से प्रेषित भी करेगा और उसकी एक प्रति यान चालक को दी जायेगी। परन्तु यह और कि ठीक हालत में होने का अगला प्रमाण-पत्र निरीक्षणकर्ता अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के जिला, जहाँ यान रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, के किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र से प्राप्त किया जायेगा। (ख) किसी यान को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा। (ग) स्वामी, यान के निरीक्षण हेतु ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से अनधिक 60 दिन पूर्व किसी कार्यदिवस में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के समक्ष केन्द्रीय मोटरयान

http://shasanadesh.up.gov.in

		नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट परीक्षण फीस के साथ यान प्रस्तुत कर सकता है। (घ) यदि यान परीक्षण में असफल हो जाता है तो पुनः परीक्षण हेतु यान-स्वामी केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण शुल्क जमा कर यान को किसी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। (ङ) निरीक्षणकर्ता अधिकारी अथवा प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र एस.आर.-12 में तैयार किया जायेगा। (च) यदि यान के ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात् किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है तो नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगाः परन्तु यह कि जहां यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व किसी दिनांक को यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाता है वहाँ नवीकरण यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
	(2) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र जिसके द्वारा ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया था उस पर यान के अगले निरीक्षण के लिये दिनांक पृष्ठांकित कर सकता है और तद्नुसार स्वामी यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(2) निकाल दिया गया।
	(3) यदि उपनियम (2) में यथा व्यवस्थित प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित नहीं किया गया है तो स्वामी प्रमाण-पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर प्रपत्र एस.आर.-13 में आवेदन-पत्र देगा और ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी तत्पश्चात् युक्तियुक्त नोटिस पर नियत करे, यान को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करायेगा।	(3) निकाल दिया गया।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td></td><td>(4) यदि स्वामी उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उपनियम (3) के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर यान को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह सेन्ट्रल रूल्स के नियम 81 के सारणी के क्रम संख्या-11 पर विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।</td><td>(4) यदि स्वामी यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र समाप्त होने के पूर्व निरीक्षण हेतु यान प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 में विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि और उसके बराबर अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।</td></tr>
<tr><td>द्वितीय अनुसूची में संशोधन</td><td colspan="2">उक्त नियमावली में, द्वितीय अनुसूची में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र एस°आर°-12 तथा प्रपत्र एस°आर°-13 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td></td><td>स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रपत्र एस°आर°-12
नियम 39(1) देखिये,
ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन-पत्र
भाग-क
(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)
सेवा में,
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र.....
मैं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र को जारी/नवीकरण करने के लिये आवेदन करता हूँ-
यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.....
स्वामी का नाम.....स्थान जहाँ गाड़ी साधारणतया रखी जाती है.....
यान के विनिर्माता का नाम.....
विनिर्माता का माडल या यदि ज्ञात नहीं है तो व्हील बेस.....यान का प्रकार.....चेसिस संख्या.....इंजन संख्या.....
यान के सम्बन्ध में दिये गये किसी पूर्ववर्ती ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र का विवरण.....
प्राधिकारी जिसके द्वारा दिया गया/नवीकृत किया गया.....
दिनांक, जब ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होगी.....
विधिमान्यता की समाप्ति के कारण.....
मैं केन्द्रीय नियमावली के नियम 73 के अधीन अपेक्षित कर शोधन प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ।
दिनांक.....
आवेदक के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान
भाग-ख
(निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)</td><td>प्रपत्र एस°आर°-12
नियम 39(1)(ङ) देखिये,
ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र देने/नवीकरण करने के लिये आवेदन पत्र
(निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
परिवहन यान संख्या .....की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय अधिकारी.....
निरीक्षण का स्थान.....दिनांक.....क्रम संख्या.....
रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता.....
रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
ढाँचे का प्रकार.....
यान के विनिर्माता का नाम.....
विनिर्माण का वर्ष.....
व्हील बेस.....
चेसिस संख्या.....
इंजन संख्या.....
अश्वशक्ति.....
यान का लदान रहित भार.....
सकल यान भार..... टायर की संख्या और आकार.....अगली धुरी.....
पिछली धुरी.....कोई अन्य धुरी.....
टैंडम धुरी.....
1. यान का ढाँचा:
(क) ढाँचे की सामान्य दशा.....
(ख) रंगाई कार्य.....
(ग) पोशिशसाजी.....
(घ) यान की लम्बाई.....सेन्टीमीटर
(ङ) यान की चौड़ाई..... सेन्टीमीटर
(च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी).....सेन्टीमीटर
(छ) खड़े होने का स्थान.....सेन्टीमीटर
(ज) गैंगवे.....सेन्टीमीटर
(झ) दो सीटों के पीछे के मध्य की दूरी.....सेन्टीमीटर
(ञ) सीट की चौड़ाई.....सेन्टीमीटर
(ट) सीट की गहराई.....सेन्टीमीटर
(केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 125 ग के उपनियम</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	परिवहन यान संख्या ..... की निरीक्षण रिपोर्ट सम्भागीय/उप-सम्भागीय कार्यालय.....निरीक्षण का स्थान..... दिनांक.....क्रमसंख्या..... रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और पता..... यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या..... ढाँचे का प्रकार..... यान के विनिर्माता का नाम..... विनिर्माण का वर्ष..... व्हील बेस..... चेसिस संख्या..... इंजन संख्या..... अश्वशक्ति..... यान का लदान रहित भार..... सकल यान भार..... टायरों की संख्या और आकार.....अगली धुरी.....अगली धुरी.....पिछली धुरी.....कोई अन्य धुरी.....टैडम धुरी..... **1.** यान का ढाँचा- **(**क) ढाँचे की सामान्य दशा..... **(**ख) रंगाई कार्य..... **(**ग) पोशिशसाजी..... **(**घ) यान की लम्बाई.....सेन्टीमीटर **(**ङ) यान की चौड़ाई.....सेन्टीमीटर **(**च) यान की ऊँचाई(भूमि से मापी गयी) .....सेन्टीमीटर **(**छ) खड़े होने का स्थान.....सेन्टीमीटर **(**ज) गैंगवे.....सेन्टीमीटर **(**झ) दो सीटों के पीछे के मध्य कीदूरी....सेन्टीमीटर **(**ञ) सीट की चौड़ाई.....सेन्टीमीटर **(**ट) सीट की गहराई.....सेन्टीमीटर **(**ठ) ओवर हैंग.....सेन्टीमीटर **(**ड) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी.....सेन्टीमीटर **(**ढ) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक.....सेन्टीमीटर **(**ण) दरवाजा.....चौड़ाई.....सेन्टीमीटर **(**त) ग्रैव रेल..... **2.** अगली धुरी और स्टीयरिंग- **(**क) स्टीयरिंग लाक..... **(**ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन..... **(**ग) स्टीयरिंग कनेक्शन..... **(**घ) स्टीयरिंग टर्निल सर्किल और बैकलैश..... **(**ङ) किंग पिन और बुश्ड..... **(**च) सामने की पहिया की वियरिंग..... **(**छ) सामने की पहिया का एलाइनमेन्ट..... **3.** संप्रेषण-	(1), (2), (5), (6) व (7) का अनुपालन जैसा कि ए.आई.एस. में विनिर्दिष्ट है।) (ठ) सीट संख्या/स्लीपर संख्या ..... (ड) ओवर हैंग.....सेन्टीमीटर (ढ) ड्राइवर की सीट और स्टियरिंग के बीच की दूरी.....सेन्टीमीटर (ण) सीढ़ियों की दूरी भूमि से सबसे निचली सीढ़ी के सिरे तक.....सेन्टीमीटर (त) दरवाजा.....चौड़ाई..... सेन्टीमीटर (थ) आपातकालीन निकास द्वार- (एक) पीछे की ओर..... (दो) प्रवेश द्वार के विपरीत साइड..... (तीन) छत में..... (द) ग्रैव रेल..... सेन्टीमीटर (ध) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन..... 2. अगली धुरी और स्टीयरिंग: (क) स्टीयरिंग लॉक..... (ख) पहियों का स्वतंत्र संचालन..... (ग) स्टीयरिंग कनेक्शन..... (घ) स्टीयरिंग टर्निंग सर्किल और बैकलैश..... (ङ) किंग पिन और बुश्ड..... (च) सामने पहिया की वियरिंग..... (छ) सामने पहिया का एलाइनमेन्ट..... 3. पारेषण: (क) क्लच..... (ख) गियर बाक्स..... (ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट..... (घ) प्रोपेलर शैफ्ट..... (ङ) डिफरिन्शयल..... 4. इंजन- (क) ईंधन प्रणाली..... (ख) निष्कासक प्रणाली..... (ग) ज्वलन प्रणाली(स्पार्क प्लग/सप्रेसरकैप/उच्च टेंशन केबल)..... (घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व..... (ङ) वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र..... 5. लैम्प और बिजली प्रणाली- (क) हैड लाइट तथा हैड लाइट फोकस..... (बल्व वोल्टेज नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।) (ख) इन्ड-ऑउट लाइन मार्कर लाइट..... (ग) पार्किंग लाइट..... (घ) स्टाप लाइट..... (ङ) दिशा सूचक इन्डीकेटर..... (च) डिपर..... (छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली..... (ज) फॉग लैम्प (यदि लगा है)..... (झ) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट..... (ट) हैजार्ड वार्निंग लाइट..... (ठ) नम्बर प्लेट लाइट..... (ड) बैटरी.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(क) क्लच..... (ख) गियर बाक्स..... (ग) यूनिवर्सल ज्वाइन्ट..... (घ) प्रोपेलर शैफ्ट..... (ङ) डिफरिन्शयल..... **4.** इंजन- (क) ईंधन प्रणाली..... (ख) निष्कासक प्रणाली..... (ग)ज्वलन प्रणाली..... (घ) धुआँ उत्सर्जन का घनत्व..... **5.** लैम्प और बिजली प्रणाली- (क) हैड लाइट..... (ख) साइड लाइट..... (ग) बैक लाइट..... (घ) स्टाप लाइट..... (ङ) सिग्नल इन्डीकेटर..... (च) डिपर..... (छ) आन्तरिक प्रकाश प्रणाली..... (ज) हार्न..... **6.** साइलेन्सर- **7.** ब्रेक्स- (क) पैर का..... (ख) हाथ का..... (ग) बूस्टर प्रणाली..... **8.** स्प्रिंगिंग प्रणाली की दशा- **9.** आवश्यक उपस्कर- (क) बल्ब हार्न..... (ख) विण्ड शील्ड वाइपर..... (ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा..... (घ) स्पीडोमीटर..... (ङ) औजार..... (च) अतिरिक्त पहिया..... (छ) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स..... (ज) तिरपाल..... (झ) परावर्तक..... **10.** टायरों की दशा..... **11.** चेसिस फ्रेम की दशा..... **12.** सफाई..... **13.** कोई अन्य संप्रेक्षण या खराबी..... 'उपरिलिखित खराबी के कारण ठीक हालत में होने से इन्कार करने की संस्तुति की जाती है। **.....**अवधि के लिये ठीक हालत में होने की 'संस्तुति की जाती है। निरीक्षक का नाम और उसका हस्ताक्षर प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र भाग-ग (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	**6.** साइलेन्सर..... (साइलेन्सर का लीकेज न होना सुनिश्चित किया जाय।) **7.** ब्रेक्स- (क) पैर का..... (ख) हाथ का..... (ग) बूस्टर प्रणाली..... (केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम 96(8) के अनुपालन में)..... 8. सस्पेंशन प्रणाली की दशा- **9.** आवश्यक उपस्कर- (क) इलेक्ट्रिक हॉर्न..... (ख) विण्डशील्ड वाइपर..... (ग) पृष्ठ भाग देखने वाला शीशा..... (घ) स्पीडोमीटर..... (ङ) औजार..... (च) अतिरिक्त पहिया..... (छ) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स..... (ज) तिरपाल..... (झ) परावर्तक..... (ञ) विण्डशील्ड शीशा..... (ट) डैशबोर्ड सयंत्र..... (ठ) परावर्ती टैप (मानक के अनुरूप)..... (एक) आगे-सफेद रंग-..... (दो) पीछे-लाल रंग-..... (तीन) साइड-पीले रंग-..... (ड) गति नियंत्रक- मेक.....यूनिक नं॰..... (ढ) रेयर अण्डर रन सुरक्षा डिवाइस(एन**2,** एन**3,** टी**3** एवं टी**4** के लिए)..... (ण) लेटरल साइड सुरक्षा डिवाइस (एन**2,** एन**3,** टी**3** एवं टी**4** के लिए)..... (त) फास्ट टैग..... (थ) सीट बेल्ट ..... (द) अग्निशामक यन्त्र ..... (ध) सीसीटीवी (स्कूल बस हेतु)..... (न) वाहन-एसी/नॉन एसी..... **10.** टायरों की दशा(घिसाव सूचक के अनुसार)..... **11.** वायरिंग हारनेस..... **12.** डोर एवं ग्लास ..... **13.** इंस्पेक्शन लैम्प की उपलब्धता..... **14.** दोनों ओर पंजीयन चिन्ह् की मार्किंग..... **15.** हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ..... **16.** चेसिस फ्रेम की दशा..... **17.** विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु प्राथमिकतावाली सीटों**,** संकेत सहारों/बेंत/वॉकर**,** हैन्ड रेल/स्टैंच का सुरक्षित होना और प्राथमिकता वाली सीटों पर नियन्त्रण..... **18.** विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों तथा कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु व्हील चेयर**,** इन्ट्री/रखने/लॉकिंग अरेंजमेन्ट का होना..... **19.** फुआरा निरोध युक्ति (मडफ्लैप**,** फेन्डर लाइनिंग).....

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	यान संख्या..... परमिटसंख्या.....तक के लिए विधिमान्य बीमा पालिसी..... बीमा कम्पनी का नाम.....तक के लिए बीमा विधिमान्य.....तक मार्ग-कर जमा किया गया.....तक माल-कर/यात्री-कर जमा किया गया रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा.....रुपये निरीक्षण फीस वसूल की गयी। 'यान के सम्बन्ध में ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र से इन्कार किया जाता है..... **.....**से.....तक के लिये जारी किया जाता है। यान के अगले निरीक्षण के लिए दिनांक..... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर **.....** प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र 'जो लागू न हो उसे काट दें। भाग-घ (निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... मेक और मॉडल..... यान का प्रकार.....ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र.....द्वारा जारी किया गया.....द्वारा.....को अन्तिम बार नवीकरण किया गया। निरीक्षण का दिनांक..... स्वामी का नाम और पता..... उपर्युक्त वर्णित यान मेरी राय में मोटरयान अधिनियम, 1988 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का निम्नलिखित खराबियों के कारण अनुपालन करने में विफल है- .... अतएव मैंने ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जब्त कर लिया है। गाड़ी को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। (1)..... (2)..... यान को दिनांक.....को या उसके पूर्व मरम्मत के लिये.....को उसके पश्चात्.....को चलाकर ले जाया जा सकता है।	**20.** विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण (जीएसआर**652(**इ), दि° **23.09.2021** के अनुसार)- (क) विद्युत अघात से सुरक्षा यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो..... (ख) इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप परीक्षण यदि प्रणाली का वोल्ट 60 V DC या 30 V DC हो..... (ग) डैशबोर्ड पर चार्ज की अवस्था का इंडीकेटर..... **21.** प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण केन्द्र में स्थापित निम्नलिखित मशीनों /उपकरणों में टेस्ट की स्थिति- (जीएसआर652(इ), दि0 23.09.2021 के अनुसार)- (क) उत्सर्जन टेस्ट..... (ख) बेक्रिंग सिस्टम..... (ग) स्टीयरिंग गियर..... (घ) साइड स्लिप टेस्ट..... (ड) सस्पैंशन टेस्ट(हल्के वाहन हेतु)..... (च) ज्वाइंट प्ले..... (छ) स्पीड गवर्नर..... (ज) हेड लाईट फोकस..... (झ) सांउड टेस्ट..... **22.** सफाई..... **23.** कोई अन्य खराबी..... 1..... 2..... 3..... 4..... 24. संस्तुतिः (एक) दिनांक.....से .....दिनांक.....तक फिटनेस प्रदान किया गया। (दो) क्रमांक .....में उल्लिखित कमियां सुधार करायें। (तीन) फिटनेस अस्वीकृत (कारण का उल्लेख) निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी, प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र का नाम तथा हस्ताक्षर (मुहर)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	यह.....किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक पर नहीं चलायी जायेगी और उसमें कोई यात्री या माल नहीं ले जाया जायेगा। ठीक हालत में होने की स्वीकृति दी जाती है। दिनांक..... प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर **1-**यहाँ स्थान दर्ज करें। **2-**यहाँ दिनांक दर्ज करें।	
	प्रपत्र एस°आर°-**13** नियम **39(3)** देखिये, निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन-पत्र जब प्रपत्र एस°आर°-**12** में उसे पृष्ठांकित न किया गया हो भाग-क **(**आवेदक द्वारा भरा जायेगा) सेवा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, **.....** मैं, एतद्द्वारा नीचे वर्णित यान के मोटरयान अधिनियम, **1988** की धारा **56** के अधीन अपेक्षित निरीक्षण के दिनांक के लिए आवेदन करता हूँ- **1.** यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... **2.** दिनांक जब ठीक हालत में होने का प्रमाण- पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा..... **3.** ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम..... दिनांक..... आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर भाग-ख **(**रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा और स्वामी को हस्तान्तरित किया जायेगा) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह..... स्वामी का नाम और पता..... चूंकि उपरिलिखित यान का ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र दिनांक .....को समाप्त होने वाला है, अतएव उसे.....(दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जायेगा) पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। दिनांक..... रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम	निकाल दिया गया।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2023/715(1)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-17/2023/715(2)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 19.05.2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क)(सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-17/2023/715 (3)/ तीस-4-2023-30-4099/22/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 17/2023/715/xxx-4-2023-30-4099/22/2022 dated May 19 , 2023:

Notification

No.17/2023/715/xxx-4-2023-30-4099/22/2022
Lucknow; Dated: May 19 ,2023

WHEREAS in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) the following draft rules were published in the Gazette, vide Notification no. 8/2023/458/xxx-4-2023-30-4099/22/2022, dated 05April, 2023, as required under sub section (1) of section 212 of the said Act of 1988 with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998;

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 65, 95, 96, 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998:

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLE (TWENTY-NINTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicle (Twenty-Ninth Amendment) Rules, 2023. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
Amendment of rule 39	2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 39 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	COLUMN-I	COLUMN-II
	Existing rule	**Rule as hereby substituted**
	39. Certificate of fitness-Grant and issue - 1. For the purpose of section-56, the prescribed authority shall be the registering authority. An application for the issue of a certificate of fitness shall be made in Form-SR-12 to the registering authority or the authorised testing station, in whose functional area the vehicle is kept or whose functional area includes the major portion of the route or area to which the permit relating to the vehicle extends.	**39. Certificate of fitness-Grant and issue –** **(1)(a)** For the purpose of section 56, the prescribed authority shall be the registering authority or Automated Testing Station of any district of the State, where such vehicle is being operated. In case the vehicle is operating in other state, the prescribed authority shall be the registering authority or Automated Testing Station of the nearest district of Uttar Pradesh: Provided that if the tests *specified in Rule 62 of Central Motor vehicle Rules, 1989,* are conducted by an Inspecting Officer or authorised testing station in any district other than the district, where the vehicle is registered, the Inspecting Officer who conducted the tests shall, on the same day or on the following working day, upload his inspection report in Form 38A at the portal parivahan.gov.in/vahan and also send the inspection report signed under his hand and seal to the registering authority by speed post for issue of certificate of fitness by the registering authority within fifteen days from the date of the inspection report, if the vehicle is found by the Inspecting Officer to be in compliance with the provisions of the Act and rules and a copy shall be given to the driver of the vehicle: Provided further that the next fitness certificate is obtained from the inspecting officer or an authorised testing station in the

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		District of the registering authority where the vehicle is registered. **(b)** The registering authority or the authorised testing station shall grant certificate of fitness when a vehicle is produced for the inspection and complies with the provision of the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under. **(c)** The owner may produce the vehicle for inspection before the registering authority or the authorised testing station on any working day not more than 60 days before expiry of fitness certificate along with test fee specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. **(d)** If the vehicle fails in the test, the owner may produce the vehicle for retest along with test fee as specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. **(e)** The inspection and test report shall be made in Form- SR-12 by the inspecting officer or authorized testing station. **(f)**If the vehicle fitness certificate is renewed on any date after the expiry of fitness certificate, the renewal shall be effective from the date of issue of the certificate: Provided that where the vehicle fitness certificate is renewed on any date before the expiry of the fitness certificate, the renewal shall be effective from the date of expiry of the fitness certificate.
	(2) The registering authority or the authorized testing station, by whom certificate of fitness was issued, may endorse thereon the date, appointed for the next inspection of the vehicle and the owner shall cause the vehicle to be produced for inspection	(2) Omitted

http://shasanadesh

	accordingly.	
	(3) If the certificate has not been endorsed as provided in sub-rule (2), the owner shall, not less than one month before the date of expiry of the certificate, make an application on Form SR-13 and cause the vehicle to be produced for inspection on such date and at such time and place as the registering authority may thereafter, upon reasonable notice, appoint.	(3) Omitted
	(4) If the owner fails to produce the vehicle on the date appointed under sub-rule (2) or on the date, time and place as appointed under sub-rule (3) he shall be liable to pay an amount equivalent to and in addition to the amount of fee specified at Serial 11 of the Table of Rule 81 of the Central Rules.	(4) If the owner fails to produce the vehicle for inspection before expiry of fitness certificate, he shall be liable to pay an amount equivalent to and in addition to the amount of the fee specified in rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
Amendment in Second Schedule	3- In the said rules, in the Second Schedule, for Form SR-12 and Form SR-13 set out in Column-I below, the Forms as set out in Column-II shall be substituted, namely:-	
	COLUMN-I **Existing Forms**	**COLUMN-II** **Forms as hereby substituted**
	FORM SR-12 **[**See Rule 39(1)**]** *Application for certificate of fitness grant/renewal* **PART-A** (To be filled in by the applicant) To, The Registering Authority/ Authorised Testing Station…… I hereby apply for the issue/renewal of certificate of fitness as required by Section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 of the Vehicle described below. Registration mark of vehicle…… Name of owner…… Place where the vehicle is ordinarily kept…… Name of manufacturer of vehicle…… Manufacturers model, or if not	**FORM SR-12** **[**See Rule 39(1)(e)**]** Application for certificate of fitness grant/renewal (To be filled in by the Inspecting Officer) Inspection report of Transport vehicle No…… Regional/Sub-Regional Officer…… Place of inspection…… date……Serial No…… Name and address of the registered owner…… Registration No…… Type of body…… Name of manufacturer of vehicle……

http://shasanadesh.up.gov.in

	knowledge wheel base.... Type of Vehicle..... Chassis number..... Engine number..... Particulars of any previous certificate of fitness granted in respect of vehicle..... Authority by which granted/renewed.... Date when certificate of fitness ceased to be valid..... Reasons for cessation of validity..... I enclose herewith tax clearance certificate required under Rule 73 of the Central Rules. Dated..... Signature of thumb-impression of applicant **PART-B** (To be filled in by the Inspecting Officer) Inspection report of Transport vehicle No..... Regional/Sub-RegionalOfficer ..... Place of inspection..... date..... Serial No..... Name and address of the registered owner..... Type of body..... Name of manufacturer of vehicle..... Year of manufacturer..... wheel base..... Chassis No. .....Engine No. ... Horse Power..... Unladen weight of the vehicle..... Gross vehicle weight..... Number and size of Tyre..... front axle.....rear axle..... another axle.....tandem axle.....	Year of manufacturer..... Wheel base..... Chassis No..... Engine No. ..... Horse Power..... Unladen weight of the vehicle..... Gross vehicle weight..... Number and size of Tyre..... Front axle.....Rear axle..... anyotheraxle.....tande m axle..... 1. Body of the vehicle: a. General condition of the body..... b. paint work..... c. Upholstery..... d. Length of the vehicle .....cms. e. Width of the vehicle .....cms. f. Height of the vehicle .....cms. (Measures from ground) g. Head room.....cms. h. Gangway.....cms. i. Distance between back of two seats .....cms. j. Width of seat.....cms. k. Depth of seat.....cms. (In compliance with sub-rule (1), (2), (5), (6) and (7) of Rule 125C of CMVR as specified in AIS) l. No. of Seat/Sleeper m. Overhang.....cms n. Distance between driver's seat and steering.....cms. o. Steps distance from ground to the top of the lowest step.....cms. p. Door.....width..... .....cms.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	1. Body of the vehicle: a. General condition of the body…. b. paint work…… c. Upholstery…… d. Length of the vehicle..…cms. e. Width of the vehicle……cms. f. Height of the vehicle……cms. (Measures from ground) g. Head room……cms. h. Gangway……cms. i. Distance between back of two seats ……cms. j. Width of seat…….cms. k. Depth of seat…..…cms. l. Overhang……..cms. m. Distance between driver's seat and steering…….. cms. n. Steps distance from ground to the top of the lowest step……cms. o. Door…….width……..… cms. p. Grab rail……cms. 2. Front axle and steering: a. Steering lock…… b. Wheel free movement…… c. Steering connection…… d. Steering turning circle and back lash…… e. King pin and bushed…… f. Front wheel bearings…… g. Front wheel alignment…… 3. Transmission: a. Clutch…… b. Gear Box…… c. Universal joint…… d. Propellar shaft…… e. Differential…… 4. Engine:	q. Emergency Exit/Gate – (i) Back side…… (ii) Opposite side of the entrance…….. (iii) In rooftop…… r. Grab rail……..…cms. s. Vehicle Location Tracking Device and Panic button……..... 2. Front axle and steering: a. Steering lock…… b. Wheel free movement..... c. Steering connection……... d. Steering turning circle and back lash…… e. King pin and bushed…… f. Front wheel bearings..... g. Front wheel alignment… 3. Transmission: a. Clutch…… b. Gear Box…… c. Universal joint…… d. Propeller shaft…… e. Differential…… 4. Engine: a. Fuel system…… b. Exhaust system…… c. Ignition system (Spark plug/suppressor cape/high-tension cable)…… d. Smoke emission density ……... e. Valid PUC certificate..... 5. Lamps and Electric system: a. Head light and head light focus …… b. (Bulb voltage to be ensured as per rules.)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	a. Fuel system…… b. Exhaust system…… c. Ignition system…… d. Smoke emission density… 5. Lamps and Electric system: a. Head light…… b. Side light…… c. Back light…… d. Stop light…… e. Signal indicator…… f. Dipper…… g. Internal lightening system …… h. Horn…… 6. Silencer 7. Brakes: a. Foot…… b. Hand…… c. Booster system…… 8. Condition of springing system 9. Compulsory equipments: a. Bulbs…… b. Windshield wiper…… c. Rear view mirror…… d. Speedometer…… e. Tools…… f. Spare wheel…… g. First aid box…… h. Tarpaulin…… i. Reflector…… j. Condition of tyres…… k. Condition of chassis frame… l. Cleanliness:…… m. Any other defects:…… *Recommended refusal of fitness because of above mentioned defect…… *Recommended grant of fitness for period of…… Name and signature of Inspectoring authority.	c. End-out line marker light…… d. Parking light…… e. Stop light…… f. Signal indicator…… g. Dipper…… h. Internal lightening system …..……. i. Fog lamp (if fitted)…... j. Warning light in ambulance…… k. Hazard warning light… l. Number Plate light m. Battery…… 6. Silencer…… (ensure that there is no leakage in the silencer) 7. Brakes: a. Foot…… b. Hand…… c. Booster system…… (in compliance with Rule 96(8) of CMVR.) 8. Condition of Suspension system 9. Compulsory equipments: a. Electric Horn…… b. Windshield wiper c. Rear view mirror…… d. Speedometer……. e. Tools…… f. Spare wheel…… g. First aid box……. h. Tarpaulin…… i. Reflector…… j. windshield glass…….. k. Dashboard epuipment ……. l. Reflecting tape(as per standard)..... (i) In front – white color… (ii) Back – red color…… (iii) Side – yellow color…

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Authorised Testing Station (Seal) **PART-C** (To be filled in by the office) Vehicle No…… Permit No……..Valid upto… Insurance Policy…… Name of Insurance Company…… Insurance valid upto…… Road Tax paid upto……..Good Tax/Passenger Tax paid upto…… Inspection Fee ……realised Vide Receipt No…….date…… Fitness certificate of the *vehicle is refused/issued from……to…… Next date for inspection of the vehicle is…… Date…… Name and signature of Registering. Authority/Authorised Testing Station *Strike out whichever is inapplicable. **PART-D** (To be filled in by the inspecting Officer and handed over to the owner) Registration mark of the vehicle…… Make and model…… Type of vehicle…… Certificate of fitness…… Issued by…… Last renewed on…… by…… Date of inspection…… Name and address of owner…… The vehicle described above fails in my opinion to comply with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made there under because of the following defects:…… I have, therefore, impounded the	l. Speed governor…….. Make…Unique no…... m. Rear under run protection device (for N2, N3, T3&T4)… n. Lateral side protection device (for N2, N3, T3&T4)….. o. Fastag…… p. Seat Belt…..……Fire extinguisher…… q. CCTV (For School bus)…… r. Vehicle – AC/Non AC…… 10. Condition of tyres (as per wear indicator)…… 11. Wiring Harness…… 12. Door and Glass…… 13. Availability of Inspection Lamp…….. 14. Marking of Registration mark on both the sides… 15. High Security Registration Plate 16. Condition of chassis frame…… 17. Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility…… 18. Wheel chair entry/housing/ locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility…… 19. Spray Suppression Devices (Mudflap, Fender lining)…… 20. Additional Tests to be conducted on Electric Vehicles (as per GSR 652(e), dated 23-09-2021)- a. Protection against electric shock If system voltage is 60 V DC or 30 V AC…… b. Insulation Resistance Measurement Test If system

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	certificate of fitness. The vehicle may be produced for examination at: 1. …… 2. …… (1) Here enter the place (2) Here enter the date On or before the ……day of …… the vehicle may be driven to ……for the repairs and thereafter to…… I shall not be driven at a speed in excess of …… kilometers per hour and no passenger and goods shall be carried. Fitness is granted…… Date…… Name, Signature and Designation of the Authority	voltage is 60 V DC or 30 V AC…… c. State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard…. 21. Test Condition in following machines/ equipments in established Authorised Automated Testing Station. (as per GSR 652(e), dated 23-09-2021)- a. Smoke Density Test… b. Braking System…… c. Steering Gear…… d. Side Slip Test …… e. Suspension Test (for LMV)…… f. Joint Play……. g. Speed Governor …… h. Head light focus …… i. Sound Test …….. 22. Cleanliness:…… 23. Any other defects:……. (1)…… (2)…… (3)…… (4)…… 14. Recommendation: (i) Fitness granted from…… to…… (ii) Rectify defects as mentioned serial No…… (iii) Fitness refused (mention reason)…… Name and signature of Inspectoring authority. Authorised Testing Station(Seal)
	FORM SR-13 **[**See Rule 39(3)**]** Application for the date of inspection when the same is not endorsed on Form SR-12 **PART-A**	**Omitted**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(To be filled in by the applicant)

To,

The Registering Authority/
Authorised Testing Station……

I hereby apply for the date of inspection under section 56 of Motor Vehicles Act, 1988 of the vehicles described below:-

1. Registration mark of vehicle……
2. Date when certificate of fitness ceased to be valid……
3. Name of the fitness certificate issuing authority…….

Dated……

Name and Signature of the applicant

PART-B

(To be filled in by the registering authority and handed over to the owner)

Registration mark of vehicle……

Name and address of the owner……

Whereas the certificate of fitness is to expire on ……of the above mentioned vehicle it may be produced for inspection on…… (date, time and place shall be mentioned)

Dated……

Signature and Designation of the Registering Authority.

By order,

L.Venkateshwar Lu
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।